न्यायालय सहायक कलक्टर (FT),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 27/24 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2024/74

अनवान्

1. सुश्री निकिता पुत्री पुष्करलाल नाबालिग बविलायत माता श्रीमती रामुदेवी पत्नी पुष्करलाल गुर्जर निवासी वाडी धारता तहसील मावली।

.....प्रार्थीया

बनाम

1. श्री कालुलाल पिता रामा गुर्जर निवासी वाडी धारता तहसील मावली।
2. श्री पुष्करलाल पिता कालुलाल गुर्जर निवासी वाडी धारता तहसील मावली।
3. श्रीमती लेहरीबाई पुत्री कालुलाल पत्नी लालुराम गुर्जर निवासी वाडी धारता तहसील मावली।
4. श्री पृथ्वीराज पिता गणपतलाल गुर्जर निवासी वाडी धारता तहसील मावली।
5. ममता कुमारी पुत्री पृथ्वीराज गुर्जर निवासी वाडी धारता तहसील मावली।
6. लक्ष्मी पुत्री पृथ्वीराज गुर्जर निवासी वाडी धारता तहसील मावली।
7. उप पंजीयक अधिकारी सनवाड तहसील मावली।
8. पटवारी, पटवार हल्का आमली तहसील मावली।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री कुमदेश आमेटा, अधिवक्ता प्रार्थीयां।
2. श्री शैलेन्द्र सिंह राणावत, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 3

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 28.10.2025

1. प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा बाबरिया खेडा पटवार हल्का आमली तहसील मावली में वर्णित आराजी नम्बर 388/180 रकबा 2.0396 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 के नाम पर स्वतन्त्र रूप से राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में खातेदारी हक से दर्ज हैं। मौजा वाडी पटवार हल्का आमली तहसील मावली की आराजी नम्बर 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 12, 120, 121, 139, 156, 157, 158, 159, 165, 194, 202, 204 किता 19 कुल रकबा 7.2115 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा, विपक्षी संख्या 2 के नाम 1/4 हिस्सा, विपक्षी संख्या 5 के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:31 IST
Reason: SelfAttested

1/8 हिस्सा, विपक्षी संख्या 6 के नाम 1/8 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं।

2. यह कि उभय पक्षकारान का पारिवारिक सजरा खानदान निम्न प्रकार है :—

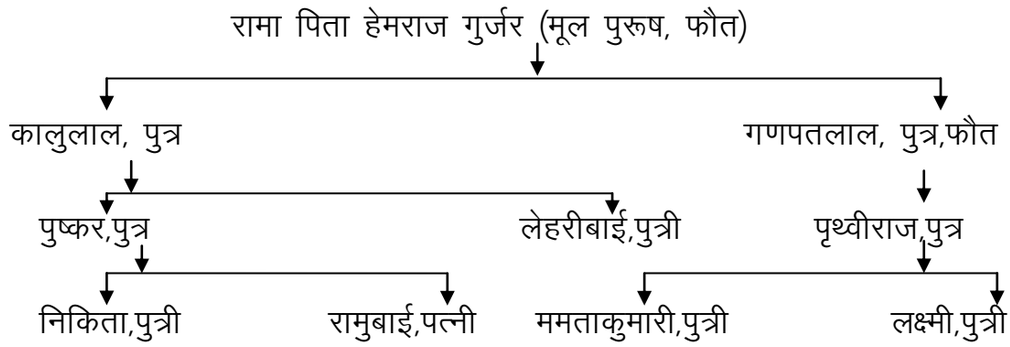

उपरोक्त सजरे अनुसार हमारे मुल पुरूष रामा पिता हेमराज जी थे जिनके दो पुत्र कालुलाल (विपक्षी संख्या 1) व गणपतलाल हुए। कालुलाल (विपक्षी संख्या 1) के वारिस पुत्र पुष्करलाल (विपक्षी संख्या 2) एवं पुत्री लेहरीबाई (विपक्षी संख्या 3) हैं। विपक्षी संख्या 2 पुष्करलाल की वारिस पुत्री निकिता (प्रार्थीया) एवं पत्नी रामुदेवी हैं।

3. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात पूर्व में हमारे मौरूस रामा पिता हेमराज गुर्जर के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज थी। रामा जी के देहावसान के पश्चात् उक्त भूमि उनके वारिसान पुत्र कालुलाल (जो प्रार्थीया के दादा है) एवं अन्य वारिसान के नाम पर विरासत से दर्ज हुई है जिससे विपक्षी संख्या 1 के नाम अंकित भूमि मुझ प्रार्थीया की पैतृक सम्पति होकर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत इसमें मुझ प्रार्थीया को जन्म से हक अधिकार प्राप्त हुवे है तथा विपक्षी संख्या 1 ने अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि का अपने वारिसान के मध्य आपसी पारिवारिक बंटवाडा कर रखा है और आपसी पारिवारिक बंटवाडे से मेरे पिता विपक्षी संख्या 2 को जो हिस्सा भूमि प्राप्त हुई है उस पर मैं प्रार्थीया अपनी माता के सहयोग से काश्त कर उपयोग उपभोग कर रही हूं जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक दखल अधिकार नहीं हैं।

4. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर मुझ प्रार्थीया का अपने पिता विपक्षी संख्या 2 के हिस्सा भूमि पर अपने हिस्सेनुसार कब्जा है और काश्त करती आ रही हूं जिसमें विपक्षीगण अथवा अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व अधिकार नहीं है लेकिन लम्बे समय से विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा मुझ प्रार्थीया एवं मेरी माता को तंग परेशान किया जा रहा है तथा मुझ प्रार्थीया के पिता विपक्षी संख्या 2 द्वारा हमारा भरण पोषण भी नहीं किया जा रहा है और अकारण ही हमें परित्यक्त करके परेशान किया जा रहा हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वाद वर्णित कृषि भूमि में मेरे हिस्सेनुसार भूमि पर काबिज होकर बडी मुश्किल से मेरी माता, मेरा [illegible] जीवन निर्वाह् कर रही है जो भी विपक्षी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:31 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1, 2 को खटक रहा है जिससे विपक्षी संख्या 1 को विपक्षी संख्या 2 (जो विपक्षी संख्या 1 का पुत्र है) बहला–फुसला कर अपने हिस्से की भूमि को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करना चाह रहा है और विपक्षी संख्या 1 भी विपक्षी संख्या 2 के उक्त अवैधानिक कृत्य में सहयोग कर अपने नाम अंकित भूमि को हस्तान्तरित करने पर उतारू है तथा विपक्षी संख्या 3 भी इनका इस कार्य में सहयोग कर रही है जबकि विपक्षीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं हैं। इसलिए मैं प्रार्थीया प्रार्थना पत्र में वर्णित पैतृक कृषि भूमि में मेरे हक व हिस्सा भूमि को खातेदारी हक की घोषित करा राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी हूं। इसलिए मुझ प्रार्थीया की ओर से वाद पत्र माननीय न्यायालय आपमें प्रस्तुत कर दिया हैं।

5. यह कि मुझ प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला हैं क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि हैं जिसमें मुझ प्रार्थीया को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जनम से ही अधिकार प्राप्त हो गये है लेकिन उक्त भूमि मेरे दादा विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज है जिसका नाजायज फायदा उठा विपक्षी संख्या 2, विपक्षी संख्या 1 से मिलीभगत कर उक्त भूमि में अपने हिस्से की भूमि को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा है और मुझ प्रार्थीयां को मेरी पैतृक जायदाद से वंचित करने पर उतारू है और हमको भुखों मरने की स्थिति में छोडना चाह रहे है और विपक्षी संख्या 3 भी इनका सहयोग कर रही है जबकि उक्त कृषि भूमि ही हमारी आजीविका का प्रमुख स्त्रोत हैं। इसलिए मैं प्रार्थीया विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारी हूं कि विपक्षी संख्या 1 से 3 मुझ प्रार्थीया को मेरे हिस्से की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, विपक्षी संख्या 1 अपने नाम अंकित भूमि को अन्य को रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, मुझ प्रार्थीयां को बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावे। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ प्रार्थीया को भारी क्षति होगी उसका मूल्यांकन रूपयो पैसों में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ प्रार्थीया के पक्ष में हैं।

6. यह कि मुझ प्रार्थीया को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 07.07.2023 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2, 3 के सिखावे एवं बहकावे में आकर अपने नाम अंकित कुलिया भूमि को खुर्द बुर्द कर मुझ प्रार्थीया को मेरे हिस्से की भूमि से वंचित करने एवं जबरन बेदखल करने की धमकी दी, तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अन्त में प्रार्थना किया कि मुझ प्रार्थीया के पक्ष में एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:31 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी संख्या 1 से 3 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में प्रार्थीया को उसके हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, प्रार्थीया को बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, विपक्षी संख्या 1 अपने नाम दर्ज भूमि को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, न ही विपक्षी संख्या 2, 3 उक्त भूमि को विपक्षी संख्या 1 के मार्फत हस्तान्तरित करावे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावें, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथावत् स्थिति बनाये रखें। विपक्षी संख्या 7 से 9 को पाबंद किया जावे कि विपक्षी संख्या 1 उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार दस्तावेज पंजीयन कराने/नामान्तरकरण खुलाने हेतु पेश करे तो उसका पंजीयन नहीं करे, नामान्तरकरण नहीं खोले, न स्वीकृत करे, न ही राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ही करे, राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 3 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर पूर्व में बन्द किया जा चुका हैं। विपक्षी संख्या 4 से 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।
8. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा अपनी बहस में विपक्षी संख्या 1 खातेदार होने से खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती का कथन कर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।
9. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार हैः—

1. *प्रथम दृष्टया मामला—* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि विपक्षी सं. 1 एवं 4 से 6 के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है। प्रार्थीया उक्त भूमि की वर्तमान में खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थीया द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षी संख्या 1 से 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थीया का कथन है कि उक्त वादग्रस्त भूमि मौरूसी सम्पति है मौरूसी सम्पति में हमारा भी हक हिस्सा निहित है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:31 IST
Reason: SelfAttested

एवं 4 से 6 के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। प्रार्थीया द्वारा विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में से अपने हिस्से की घोषणा चाही गई हैं। विपक्षी संख्या 1 प्रार्थीया के दादा हैं।

पत्रावली में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रार्थीया के पडदादा रामा पिता हेमा के नाम दर्ज थी जो रामा पिता हेमा के स्वर्गवास के पश्चात् विरासत के आधार पर प्रार्थीया के दादा विपक्षी संख्या 1 कालुलाल के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हुई। प्रार्थीया का कथन है कि विपक्षी संख्या 1 ने अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि का अपने वारिसान के मध्य आपसी पारिवारिक बंटवाडा कर रखा है और आपसी पारिवारिक बंटवाडे से मेरे पिता विपक्षी संख्या 2 को जो हिस्सा भूमि प्राप्त हुई है उस पर मैं प्रार्थीया अपनी माता के सहयोग से काश्तकर कर उपयोग उपभोग कर रही हूं जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक दखल अधिकार नहीं हैं। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रार्थीया के इस कथन का किसी प्रकार से कोई खण्डन नहीं किया है इससे यह प्रतीत होता है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीया काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रही हैं। वादग्रस्त भूमि को प्रार्थीया द्वारा अपनी मौरूसी सम्पति होना बताकर पूर्व में रामा पिता हेमराज के नाम दर्ज होना बताया तथा रामा पिता हेमराज के स्वर्गवास के पश्चात् विरासत के आधार पर रामा पिता हेमराज के वारिस कालुलाल विपक्षी संख्या 1 व अन्य वारिसान के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हुई। प्रार्थीया द्वारा वादग्रस्त भूमि को मूल पुरूष रामा पिता हेमराज के समय से चली आना बताकर अपने हिस्से की घोषणा चाही हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर पैतृक सम्पति में घोषणा का वाद होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीयां के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 व अन्य सहखातेदार के नाम संयुक्त रूप से हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड जमबान्दी में दर्ज हैं। प्रार्थीया वादग्रस्त भूमि की खातेदार नहीं हैं। प्रार्थीया द्वारा वादग्रस्त भूमि को अपनी पैतृक भूमि होना बताकर अपने हिस्से की घोषणा चाही हैं। यदि मूल वाद में वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया की पैतृक सम्पति होना साबित होता है एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है जिस कारण विपक्षी संख्या 1 से 3 वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द रहन, बैह, बक्षीस, विक्रय आदि द्वारा हस्तान्तरित कर देते है तो इससे प्रार्थीया के हक अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा प्रार्थीया को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सुविधा संतुलन का बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता हैं। अतः सुविधा संतुलन को प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:31 IST
Reason: SelfAttested

3. *अपूरणीय क्षति*– प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 व अन्य सहखातेदार के नाम संयुक्त रूप से हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थीया द्वारा पैतृक भूमि में हिस्से की घोषणा चाही हैं। वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से यदि विपक्षी संख्या 1 से 3 को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 वादग्रस्त भूमि को रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित कर देते है तो इससे प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन के बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किये जाने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

10. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीया द्वारा विपक्षी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि मौजा बाबरिया खेडा पटवार हल्का आमली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 12 पर दर्ज आराजी नम्बर 388/180 रकबा 2.0396 हेक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम व मौजा वाडी पटवार हल्का आमली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 26 पर दर्ज आराजी नम्बर 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 12, 120, 121, 139, 156, 157, 158, 159, 165, 194, 202, 204 किता 19 कुल रकबा 7.2115 हेक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 1, 4 से 6 के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1, 4 से 6 के नाम संयुक्त रूप से हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा विपक्षी संख्या 1 से 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थीया द्वारा विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि को अपनी पैतृक सम्पति होना बताकर अपने हिस्से की घोषणा चाही गई हैं। वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से यदि विपक्षी संख्या 1 से 3 को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द, रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित कर देते है तो इससे प्रार्थीया के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होंगी। प्रकरण में दिनांक 04.11.2024 से विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं।

इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय की नजीर **RLW 2005(2) page 219,** में

''राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 – अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करना– अपने पिता के जीवन काल में पिता की सम्पति में हिन्दू पुत्र का अधिकार– पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:31 IST
Reason: SelfAttested

ने घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद दायर किया – भूमि हस्तान्तरण की आशंका – अस्थाई निषेधाज्ञा चाही– अभिनिर्धारित – अपने पिता की पैतृक सम्पति में एक हिन्दू पुत्र का अधिकार होता है और वह उसका विभाजन करा सकता है– अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रयोजन विवाद की विषय वस्तु को अधिकारों के संबंध में निर्णय होने तक वर्तमान स्थिति में बनाये रखना है और आगे किसी संभावित क्षति से सुरक्षा करना है।" माननीय न्यायालय की उक्त नजीर इस प्रकरण पर हूबहू चस्पा होती है।

शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किये गये हैं। अतः ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 1 से 3 को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि विपक्षी संख्या 1 से 3 मूल वाद के निस्तारण तक मौजा बाबरिया खेडा पटवार हल्का आमली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 12 पर दर्ज आराजी नम्बर 388/180 रकबा 2.0396 हेक्टेयर एवं मौजा वाडी पटवार हल्का आमली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 26 पर दर्ज आराजी नम्बर 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 12, 120, 121, 139, 156, 157, 158, 159, 165, 194, 202, 204 किता 19 कुल रकबा 7.2115 हेक्टेयर भूमि में विपक्षी संख्या 1 कालुलाल के नाम दर्ज हिस्सा भूमि के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:31:31 IST
Reason: SelfAttested